

“213क	6201 20 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ख	6201 20 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ग	6201 30 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213घ	6201 30 90	सभी वस्तुएं	20% या 210 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213ङ	6201 40 10	सभी वस्तुएं	20% या 320 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213च	6201 40 90	सभी वस्तुएं	20% या 180 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
213छ	6201 90 10	सभी वस्तुएं	20%
213ज	6201 90 90	सभी वस्तुएं	20%”;

(vi) क्रम संख्या 214 से 219 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का निरसन किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 220 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“220क	6202 20 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ख	6202 20 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ग	6202 30 10	सभी वस्तुएं	20% या 210 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220घ	6202 30 90	सभी वस्तुएं	20% या 160 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220ङ	6202 40 10	सभी वस्तुएं	20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220च	6202 40 90	सभी वस्तुएं	20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी ज्यादा हो
220छ	6202 90 10	सभी वस्तुएं	20%
220ज	6202 90 90	सभी वस्तुएं	20%”.

(viii) क्रम संख्या 221 से 227 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का निरसन किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/286/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को सा.का.नि. 1341 (अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 73(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2021

**No. 56/2021-Customs**

**G.S.R. 905(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. **82/2017-Customs**, dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 116, in column (2), for the entry, the entry “5703 21, 5703 29” shall be substituted;
- (ii) against serial number 117, in column (2), for the entry, the entry “5703 31, 5703 39” shall be substituted;
- (iii) against serial number 136, in column (2), for the entry, the entry “5802 10 10” shall be substituted;
- (iv) against serial number 137, in column (2), for the entry, the entry “5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60, 5802 10 90” shall be substituted;
- (v) for serial number 213 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“213A	6201 20 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
213B	6201 20 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
213C	6201 30 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
213D	6201 30 90	All goods	20% or Rs 210 per piece, whichever is higher
213E	6201 40 10	All goods	20% or Rs 320 per piece, whichever is higher
213F	6201 40 90	All goods	20% or Rs 180 per piece, whichever is higher
213G	6201 90 10	All goods	20%
213H	6201 90 90	All goods	20%”;

- (vi) serial numbers 214 to 219 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) for serial number 220 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“220A	6202 20 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
220B	6202 20 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
220C	6202 30 10	All goods	20% or Rs 210 per piece, whichever is higher
220D	6202 30 90	All goods	20% or Rs 160 per piece, whichever is higher
220E	6202 40 10	All goods	20% or Rs 385 per piece, whichever is higher
220F	6202 40 90	All goods	20% or Rs 220 per piece, whichever is higher
220G	6202 90 10	All goods	20%
220H	6202 90 90	All goods	20%”;

(viii) serial numbers 221 to 227 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022.

[F. No. 190354/286/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 82/2017-Customs, dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2017, and was last amended *vide* notification No. 15/2021 – Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 73(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2021

सं. 57/2021-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 906(अ).**—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

### सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 25/1998-सीमाशुल्क, दिनांक 2 जून, 1998, जिसे सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 2 जून, 1998 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8514 19 00 या 8486" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 47 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8517 90 00 या 8486" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) क्रम संख्या 48 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8514 31 00 या 8514 32 00 या 8514 39 00 या 8486" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iv) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंक "8514 10 से 8514 30", के स्थान पर अंक "8514 11 से 8514 39" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमाशुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1999, जिसे सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1999 को प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 226 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, अंक "7419 99 90", के स्थान पर अंक "7419 80 90" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) क्रम संख्या 233 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, अंक "6815 10", के स्थान पर अंक "6815 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जिसे सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित किया	उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि में, मद (xviii) में, अंक "8514 30 90", के स्थान पर अंक "8514 39 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;